

31/11/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब ना म	प्रतिवादी
वन्गाराम पुत्र रामराम पार करकेडी		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद-पत्र = वाद रिकार्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर	281 / 2021	GCMS No. 2021 / 1058
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	
031/11/2021	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए</p> <p>वादी श्री वन्गाराम पुत्र रामराम जाति पार निवासी करकेडी द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत केसपुर में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2076-2077 ग्राम करकेडी पटवार मण्डल केसपुर के खाता नम्बर 181 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि वना पुत्र रामराम दर्ज है, जो अशुद्ध है। वादी का शुद्ध नाम वन्गाराम पुत्र रामराम है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 46246936 4307 मतदाता पहचान पत्र RJ/2571X/537663 अन्य दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी केसपुर भू.अ.नि. केसपुर एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है। अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हो।</p>	

1172-1177

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

